न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सांचौर जिला जालौर
पीठासीन अधिकारी – श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या 25/2013

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
अमरा पुत्र नथा फौत के वारीसानः – 1. मोतीराम पुत्र अमरा 2. सांवलाराम पुत्र अमरा 3. जोधाराम पुत्र अमरा जातियान कलबी निवासीगण डबाल,तहसील सांचौर, जिला जालौर(राज0)		1. तुलछा पुत्र रणछोडा 2. बालका पुत्र रणछोडा 3. ओखाराम पुत्र गंगदाराम जातियान कलबी 4. निम्बा पुत्र होती 5. चम्पा बैवा होती जातियान रेबारी, निवासीगण डबाल, तहसील सांचौर, जिला जालौर(राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क R.T.Act.

उपस्थिति –

1. श्री सगताराम चौधरी वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री बाबूसिह चौधरी अप्रार्थी निम्बा की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 15.03.2018

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के ग्राम डबाल मे खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 91 रकबा 3.69 हैक्टर बारानी दोयम का आया हुआ है जो प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा का है। प्रार्थीगण के इस खेत में आने जाने के लिए रास्ता प्रयोजनार्थ की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है जो पारस्परिक सहमती से तय नही हो पा रहा है, तथा राजस्व रेकर्ड में नही है, प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु सबसे निकटतम रास्ता खेत खसरा नम्बर 93 में से प्रार्थीगण को अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है। आवागमन हेतु रास्ते की प्रार्थीगण कों अत्यन्त आवश्यकता है। अतः रास्तें की भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जाना न्यायसंगत है, प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता सरहद मौजा डबाल के खेत खसरा नम्बर 93 मे से उपयुक्त रहेगा, ऐसी सुरत में प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 91 सरहद मौजा डबाल में आने जाने हेतु ग्राम डबाल में स्थित खेत खसरा नम्बर 93 मे से नक्शें में वर्णित लाल स्यायी की भूमि रास्तें के उपयोग के लिए रास्तें की भूमि घोषित करनें के लिए प्रार्थीगण प्रार्थना करते है। प्रार्थीगण 15 फुट चौड़े रास्तें की मांग करतें हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी निम्बा की ओर से वकील श्री बाबूसिंह चौधरी ने वकालतनाम दिनांक 4.02.2016 को प्रस्तुत किया जिनको जबाव हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाव प्रस्तुत नही करने पर एवं अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा शेष

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला जालौर (राज0)

अप्रार्थीगण को बार–बार नोटिस तामिल हेतु जारी करने पर तामिल नही होने के कारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड एडी भेजी गई जिस पर अप्रार्थी चम्पा, ओखा ने रजिस्ट्रर्ड तामिल लेने से इन्कार किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2017 को चम्पा व ओखा के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी तुलसा व बालका को पुनः रजिस्ट्रर्ड एडी भेजी गई जिस पर तुलसा व बालका ने तामिल लेने से इन्कार करने पर दिनांक 10.10.2017 को अप्रार्थी तुलसा व बालका के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता अमरा फौत होने पर दिनांक 6.07.2016 को प्रार्थीगण मोतीराम, सांवलाराम, जोधाराम पिसरान अमरा को प्रार्थी के स्थान पर पक्षकार संयोजित किये गये। न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में तहसीलदार सांचौर से निकटतम रास्ते बाबत मौका जांच रिपोर्ट व डी0एल0सी0 दर तलब करने पर तहसीलदार सांचौर द्वारा इस प्रकरण में मौका जांच रिपोर्ट मय डी0एल0सी0 दर प्रस्तुत की गई। जो संलग्न पत्रावली है।

3. इस प्रकरण में बहस सुनी गई, प्रार्थीगण वकील श्री सगताराम चौधरी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया की माननीय न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका जांच रिपोर्ट से प्रार्थीगण के प्रस्तावित रास्ते को निकटतम मानते हुये प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नमबर 91 में आवागमन हेतु नही है। ऐसी सुरत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को आवेदित रास्ता दिया जावें तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमावें कि प्रार्थीगण के आवगमन में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

6. हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया, प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 91 में आवागमन का निकटतम व सुविधाजनक व अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता खसरा नम्बर 93 मे से मांगा गया है जिसको प्रार्थीगण ने लाल रंग से दर्शाया गया है तथा अप्रार्थीगण बावजूद पर्याप्त जबाव का अवसर देने के जबाव प्रस्तुत नही किया तथा बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 14.01.2016 के अनुसार भी प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 91 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 93 मे से 5 मीटर चौडा जिसकी लम्बाई 154 मीटर बताते हुये यही एकमात्र प्रार्थीगण के निकटतम व सुविधाजन होना तथा इस रास्ते से नजदीक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होना जाहिर किया है। प्रार्थीगण के कथनो एवं मौका जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण मोतीराम, सांवलाराम, जोधाराम पिसरान अमरा जातियान कलबी निवासीगण डबाल, तहसील–सांचोर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 93 रकबा 1.54 हैक्टर में से 0.0770 नजरी नक्शा ''अ'' में वर्णित लाल रंग **ए से बी** भाग की भूमि प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रास्ते की सुविधा का अधिकार का राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित किया जावें। उक्त भूमि में प्रार्थीगण को रास्ते की सुविधा के अलावा अन्य अधिकार अर्जित नही रहेंगें तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त रास्ते की भूमि में आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करेगें, एवं न ही किसी अन्य से करवायेगे तथा अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर तहसीलदार सांचौर की गणना अनुसार 0.0770 हैक्टर की डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि रूपये 59528/– अक्षरे रूपयें उन्नसाठ हजार पाच सौ अठाईस रूपये खातेदार तुलछा, बालका पिसरान रणछोडा, ओखाराम पुत्र गंगदा कौम कलबी निम्बा पुत्र होती,

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

चम्पा बेवा होती कौम रेबारी निवासी डबाल तहसील सांचौर को प्रतिकर के रूप में दिये जावें। उक्त राशि का ड्राफ्ट इस कार्यालय मे प्रार्थीगण जमा करवा दे, जो तहसीलदार सांचौर उपरोक्ता अनुसार अप्रार्थीगण को दे दिये जावें। उक्त आशय की तहरीर तहसीलदार सांचौर को पृथक से जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

15-3-18
(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15-3-18
(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर